प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा एवं आठ कंडिकाएँ जो 13 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के अनुपालन लेखापरीक्षा पर आधारित है, को सम्मिलित करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 139 एवं 143 की प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के तहत सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा प्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा, सी0ए0जी0 द्वारा, की जाती है जिस पर सी0ए0जी0 अपनी टिप्पणी देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षक (सनदी लेखाकार) के प्रतिवेदनों का अनुपूरण करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत, सी0ए0जी0 तीन वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा करते है। पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत सी0ए0जी0, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सी0ए0जी0 को निगम द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त बिहार राज्य वित्तीय निगम के खातों के लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत सी0ए0जी0 को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंटस द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त बिहार राज्य भण्डारण निगम के खातों के लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क के अन्तर्गत सी0ए0जी0, बिहार विधान सभा के पटल पर उपस्थापित करने हेतु सरकारी कम्पनी एवं सांविधिक निगम की लेखाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को सुपुर्द करती है।

इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें निम्नलिखित है :

1. बिहार में 74 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 65 सा0क्षे0उ0 के पास 1977–78 के बाद से लेखें बकाया थे। लेखें में विलम्ब/लेखें नहीं बनाए जाने के कारण तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति, धोखाधड़ी एवं गबन की संभावनाएं प्रबल हो जाती है।
2. 18 सा0क्षे0उ0 जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपने खातों का अन्तिमीकरण किया था, का 8.49 प्रतिशत की औसत ऋण लागत के विरूद्ध निवेश पर औसत नकारात्मक प्रतिफल 6.14 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में राजकोष को ₹ 1,159.75 करोड़ का कुल नुकसान हुआ। शेष 56 सा0क्षे0उ0 जिनके लेखें अन्तिमीकृत नहीं हुए थे, के हानि का आकलन नहीं किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार ने किस आधार पर बिना लेखें के सात कार्यशील सा0क्षे0उ0 को ₹ 4,431.54 करोड़ और 10 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को ₹ 1,007.23 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की, यह स्पष्ट नहीं है।
4. तीन सरकारी कम्पनियों और एक निगम में कमियाँ इतनी गंभीर है कि सी0ए0जी0 ने लेखों पर अपना मंतव्य देने से इंकार कर दिया है।

5. तत्कालिन बिहार राज्य के पुनर्गठन के 17 साल बाद भी राज्य सरकार सात सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों और देनदारियों का विभाजन पूरा नहीं कर सकी है।

6. उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अन्तर्गत विद्युत कम्पनियों (डिस्कॉम) ने अपने वित्तीय लक्ष्यों को तो काफी हद तक प्राप्त किया, लेकिन कार्य सम्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही।

7. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड जिसके पास पिछले पाँच वर्षों में ₹ 3,371.99 करोड़ की परियोजनाएँ थीं, में आरम्भ से ही (एक बार छोड़कर) ना तो कोई पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक है, और ना हीं इसमें आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग या मुख्य सतर्कत्ता अधिकारी है। इन कमियों के परिणामस्वरूप योजना और निष्पादन के सभी चरणों में अत्यधिक विलम्ब और कमियाँ आईं। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के लेखापरीक्षा में इसी तरह की विलम्ब और कमियों को देखा गया।

8. ₹ 285.81 करोड़ के अनुबन्ध में मिली भगत, ₹ 5.43 करोड़ की बैंक से ब्याज की हानि, अनावश्यक जुर्माना का भुगतान, सलाहकार शुल्क और उपहार पर अनावश्यक व्यय ₹ 53.77 करोड़, आयकर के ब्याज के रूप में ₹ 1.07 करोड़ का परिहार्य व्यय, ऊर्जा शक्ति के क्रय के समझौते के अनुचित संशोधन के कारण ₹ 61.70 करोड़ की हानि, टैरिफ दरों के गलत भारित करने के कारण ₹ 5.24 करोड़ की हानि और ₹ 2.04 करोड़ का कम्पाउन्डिंग शुल्क सरकार को जमा नहीं होना, प्रतिवेदित किया गया है।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा एवं लेखें के विनियमन तथा लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप किया गया है।